न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 592–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–01–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 330/निगरानी/2009–10.

.....

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–संतोष कुमार उर्फ भूरा आत्मज उदयलाल
2–भोलाराम आत्मज उदयलाल
3–शंकरलाल आत्मज उदयलाल
4–धर्मेन्द्र आत्मज उदयलाल
5–श्रीमती मिथलेश पत्नि गोपालसिंह
सभी निवासी ग्राम चीनोर तहसील चीनोर ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–01–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक अनावेदक कमांक 5 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कमांक 5941/2007 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18–11–2008 को कलेक्टर को हितबद्ध पक्षकारों को बनाकर आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 26/2008–09/बी–121 दर्ज कर दिनांक 9–9–2009 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार आंतरी द्वारा प्रकरण कमांक 87/1983–84/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 11–03–1985 निरस्त किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा 19–1–2011 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–3–1985 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमियॉ प्रसूति गृह के डाक्टरों के आवास के लिये सुरक्षित रखी गई थी जो कि ईयरमार्क थी, इस तथ्य को अनदेखा कर नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई थी, इसलिये कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्य को अनदेखा कर कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है, कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा केवल अनावेदकगण के पक्ष में किये गये व्यवस्थापन में प्रकियात्मक त्रुटि दर्शाते हुये लगभग 24 वर्ष बाद पटटा निरस्त किया गया है जिसे वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं ठहरायी जा सकती है क्योंकि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में अनावेदकगण की पात्रता के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला है । केवल प्रकियात्मक त्रुटि के आधार पर

24 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को निरस्त करने में अनावेदकगण के विरूद्ध घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–01–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर